

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक:-एफ. 3(54)नविवि/3/2011पार्ट

जयपुर,दिनांक:- 2 MAY 2016

**आदेश**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उपधारा (5) में यह प्रावधान है कि कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग बिना पूर्व स्वीकृति के किये जाने पर मूल खातेदार या उसके पश्चातवर्ती हस्तांतरिती या हस्तांतरितियों (Transferees), यदि हो, को अतिक्रमी मानकर धारा 91 के साथ पठित धारा 90-क के प्रावधानों के तहत उसे बेदखल घोषित करके भूमि जब्त करने के स्थान पर काबिज व्यक्ति को ऐसी शास्ति, जो विहित की जावे, के भुगतान पर तथा धारा 90-क की उपधारा (4) में वसूलनीय नगरीय निर्धारण (लीज रेंट) एवं प्रीमियम की राशि के भुगतान पर भूमि यथावत रखने और उसका यथावत उपयोग किये जाने की अनुमति के साथ नियमन/आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल करने की शक्तियां तहसीलदार को है। राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 9(126)राज-6/2012/17 दिनांक 28.04.2016 (जिसकी प्रति संलग्न है।) में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिससे तहसीलदार की शक्तियां प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्योजित की गयी है।

इसी प्रकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(126)राज-6/2012/18 दिनांक 28.04.2016 (जिसकी प्रति संलग्न है।) में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त धारा-53 की उपधारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि बटवारे के लिए तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

राजस्व विभाग की अधिसूचना 19 दिनांक 28.04.2016 से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड सपठित धारा 26 की उपधारा (1) खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त नायब तहसीलदार व तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किये जाने से अब 17.06.99 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नहीं करता है और मौके पर खातेदार ने या उसके हस्तांतरिती/हस्तांतरितियों (Transferees) ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 सपठित धारा 90-क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी व्यक्ति को एवं मूल खातेदार को विहित प्रारूप में नोटिस जारी करेगा एवं सुनवाई का अवसर देते हुए यथोचित आदेश पारित करेगा। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (अतिक्रमी की बेदखली) नियम, 1975 में नोटिस का प्रारूप तथा प्रक्रिया विहित की हुई है।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए की उपधारा (5) में बिना अनुमति कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए किये गये निर्माण के संबंध में धारा 91 के तहत बेदखली आदेश की औपचारिकता पूर्ण कर ऐसे निर्माण को नियमित किया जा सकेगा। इस हेतु मूल खातेदार एवं भूखण्डधारी दोनों को 7 दिवस का नोटिस जारी किया जावे, इसके साथ ही राज्य स्तरीय

